10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१० रु. TEN RUPEES 10 RS.

यह अनुबंध स्टाम्प पेपर संख्या... परिवर्तन ग्रामीण समाजसेवी संस्था ग्राम कान्डा सितारगंज
धाडी गढ़ताल.............. ....
प्रति जिसकी पत्तावली सं० - 1229
..............की प्रमाणित प्रतिलिपि के
साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]
2/4/2003

10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१०रु. TEN RUPEES 10RS.

परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवी संस्था ग्राम कान्डा सिती

पत्र/स्टाम्प पेपर संख्या.........
देहरादून - फाइल रिन्युवल.........
.... जिसकी पत्रावली सं०.........
के .... की पत्रावली ....
साथ संलग्न है ॥

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून, उत्तरांचल
2/9/2005

संस्था का स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवी संस्था है।
2. मुख्य कार्यालय: — संस्था का मुख्य कार्यालय ग्राम काण्डा, सितोन्स्यूँ, (कोट ब्लाक) पो0ओ0 कुरासी, पौड़ी उ0प्र0 है।
3. कार्यक्षेत्र: — परिवर्तन का कार्यक्षेत्र जिला पौड़ी गढ़वाल का समस्त ग्रामीण अंचल है तथा भविष्य में समस्त उत्तराखण्ड के ग्रामीण अंचलों तक विस्तार का इरादा रखती है।
4. **परिवर्तन के मुख्य उद्देश्य :**

1. संस्था ग्रामीण समाज के सभी लोगो को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सजग तथा सचेत करेगी।
2. संस्था ग्रामीण लोगो को उनकी मुख्य समस्याओं जैसे पेयजल आपूर्ति विद्युत आपूर्ति गावों की सफाई, सुलभ शौचालयों का निर्माण ग्राम के मैले जल की निकासी हेतु सीवर नालियों के निर्माण हेतु उन्हें प्रेरित करेगी तथा सरकार द्वारा उक्त हेतु दिए जाने वाले अनुदानो को सही प्रयोग में लाने के लिए जागृत करेगी। जिससे गाँवों का समुचित विकास हो सके।
3. यह संस्था ग्रामीण समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों महिलाओं, युवक, बच्चों तथा बूढ़ो के सर्वांगीण विकास में अपना सर्वस्व लगाएगी।
4. यह संस्था ग्रामीण समाज में रहने वाले सभी लोगो के आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य सबंधी तथा शिक्षा सबंधी स्तर को देश की मुख्य धारा और समान रूप से लाने का प्रयत्न करेगी।
5. यह संस्था सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे निराश्रित विधवा पेंशन, किसान पेंशन, वृद्ध पेंशन, बेरोजगारो को स्वरोजगार हेतु सहायता, निर्बल वर्ग आवास हेतु अनुदान, दुधारू पशुओं की खरीद हेतु अनुदान तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में उन ग्रामीणों को अवगत करायेगी जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के अभ्यर्थी होगें तथा उन्हें समुचित लाभ दिलाने का प्रयास करेगी।
6. यह संस्था संस्थागत क्रिया कलापों से राष्ट्रीय उत्थान एवं ग्रामीण समाज के ~~व्यक्तिगत~~ विकास में सामजंस्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करेगी।
7. परिवर्तन समय-समय पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सरकार का हाथ बढ़ायेगी ताकि प्रस्तावित सहायता [illegible] निसंकोच पहुंचाया जा सके।
8. परिवर्तन तरह तरह के व्याधिग्रसित व्यक्तियों को पुनः राष्ट्रीय [illegible] और धारा में वापस लाने का पूर्ण प्रयास करेगी।

1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]
5. [signature]
6. [signature]
7. [signature]
P.B.Pant
[signature]
बीना जुयाल

9. यह संस्था ग्रामीण समाज की सभी आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को आधुनिक जीवन स्तर हेतु रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगी तथा उनके अवकाश के क्षणों में उन्हें सांस्कृतिक मनोरंजन आदि की निशुल्क सुविधा भी प्रदान करवायेगी।

10. परिवर्तन स्वास्थ्य सुधार हेतु सबंधित विभाग की मदद से समय-समय पर निशुल्क स्वास्थ्य सबंधी कैम्पो का आयोजन करेगी।

11. परिवर्तन गांव गांव में कामकाजी, महिलाओं के बच्चो हेतु बालवाडियों तथा पालनागृहो का निर्माण करेगी ताकि काम के वक्त वे अपने बच्चो को उक्त पालनागृहो में निसंकोच छोड सके। यह कार्य व्यावसायिक नहीं होगा।

12. परिवर्तन ग्रामीण निराश्रित वृद्धो को संरक्षण देगी।

13. परिवर्तन ग्रामीण बच्चों के लिए राष्ट्र की एक समान शिक्षा नीति के समान शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी ताकि ग्रामीण समाज के आर्थिक तथा सामाजिक पिछडे लोगो के बच्चो को भी समान शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो सके।

1. (signature)
2. (signature)
3. (signature)
4. (signature)
5. (signature)
6. (signature)
7. (signature)
8. P.B.Pant
9. (signature)
10. मीना कुमाल

14. परिवर्तन देश की उन संस्थाओ से भी सम्पर्क करेगी जो ग्रामीण समाज के सभी लोगो के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पिछडे लोगो के विकास हेतु कार्य कर रही है, यह उन सभी लोगो की समस्याओ को गांव से तहसील, जिला तथा राज्य स्तर तक समाधान हेतु प्रयास करेगी।

15. परिवर्तन ग्रामीण समाज में सम्भावित कृषि, फलउद्यान, फूलो का उत्पादन फल आधारित उद्योग, ग्राम उद्योग, मशरूम उत्पादन, कुटिर उद्योग, निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थानो, एवं संस्थाओ से सम्पर्क बनायेगी ताकि ग्राम्य समाज में रहने वाला युवा मात्र पलायन को ही अपनी नियति न समझे और अपनी जमीन से जुडकर अपने गांव, पट्टी, जिला, और अपने राज्य की सर्वांगीण उन्नति में अपना सहयोग दे सके।

16. परिवर्तन ग्राम, प्रान्त में पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेगी तथा अन्य जीव संरक्षण पर लोगो को इसकी उपादेयता समझायेगी।

17. बच्चो के मानसिक, शारीरिक विकास हेतु गांव गांव में बच्चा पार्क बनायेगी।

18. यह संस्था ग्रामीण अशिक्षित युवा युवतियों को परिवार कल्याण नियोजन की प्रासंगिकता के बारे में समय-समय पर कैम्प लगाएगी तथा प्रचार एवं प्रसार करेगी।

19. परिवर्तन ग्रामीण समाज के आर्थिक एवं सामाजिक पिछडे सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देगी ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वरोजगार प्राप्त कर सके।

(signature) रजिस्ट्रार, उपनिबन्धक

§3§ महासचिव / सह-सचिव

§1§ महासचिव संस्था के समस्त कार्य कलापो , खातो आदि की जांच करने का अधिकारी होगा। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य संस्था के सहसचिव §4§ करेगा।

§11§ वह परिवर्तन को सभी आर्थिक मामलो में अपनी सलाह देगा।

§111§ उसे कार्य समिति को वार्षिक बैठक में संस्था की समस्त आय व्यय तथा विकास की वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी इसमें वह संस्था के प्रबन्धकीय सचिव व उपाध्यक्ष से विचार विमर्श कर सकता है।

उप सचिव : उपसचिव महासचिव की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्य करेगा।

प्रबन्धकीय सचिव:

§1§ परिवर्तन का प्रबन्धकीय सचिव मुख्य कार्यकारी प्रशासक होगा।

§11§ परिवर्तन के क्रिया कलापो को देखने सभी दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने का उसे अधिकार होगा।

§111§ परिवर्तन की ओर से न्यायालयीन समस्याओं हेतु न्यायालय में आने का वह अधिकारी होगा।

§4§ परिवर्तन के प्रशासन व कर्मचारियों के अनुशासन का उसे अधिकार होगा।

§5§ परिवर्तन के अधिकारियों व अधिकारियों को आवश्यकता पडने पर अधिकार देने का वह अधिकारी होगा।

§6§ वह संस्था के कोष व्यवस्थित, उनकी देख रेख व जांच करने का अधिकारी होगा।

§7§ उसे परिवर्तन के कार्यालयीन कर्मचारियों तथा फील्ड कर्मचारियों का प्रबन्ध का अधिकार होगा।

§8§ उसे संस्था की ओर से वित्तीय सहायता, अनुदान, आदि प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा संस्था के भुगतान आय खर्च की जांच उन्हें पास करने का अधिकार होगा।

§9§ उसे बैंक के खातो चल व अचल सम्पत्ति आदि को खरीदने व बेचने व क्रियान्वयन में अध्यक्ष के साथ मिलकर निष्पादन का अधिकार होगा।

कोषाध्यक्ष : संस्था का कोषाध्यक्ष संस्था की नकद राशि का बैंक आदि में लिखा पढ़ी करेगा।

§8§ सामान्य बैठक:

§1§ परिवर्तन को हर वर्ष एक वार्षिक बैठक करनी होगी लेकिन दो वार्षिक बैठको का अन्तराल 18 महीनो से अधिक नही होगा।

§2§ परिवर्तन के अध्यक्ष को प्रत्येक वार्षिक बैठक को सम्बोधित करना होगा।

§3§ प्रत्येक वार्षिक बैठक के बारे में परिवर्तन के प्रत्येक सदस्य को उसके रजि० पते पर डाक द्वारा पूर्व सूचित कर दिया जायेगा।

§4§ वार्षिक बैठक हेतु उठाए जाने वाले सभी मुददो की सूची सहित सूचना कम से कम दस दिन पूर्व देनी होगी।

सहायक निबन्धक

§5§ परिवर्तन के प्रबन्धकीय सचिव को प्रत्येक वार्षिक बैठक में संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवेचन तथा आगामी वर्ष हेतु बजट एस्टीमेट पेश करना होगा।

§6§ परिवर्तन की वार्षिक बैठक अध्यक्ष द्वारा सम्बोधित की जाएगी लेकिन उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष को करना होगा और यदि दोनो अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्यों को तत्काल सभा का अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा।

§7§ बैठक में उन्हीं मुद्दो पर विचार किया जायेगा जिन्हें एजेन्डा, में वर्णित किया गया हो, तथा किसी अन्य मुद्दे पर भी सभाध्यक्ष से अनुमति लेकर विचार विमर्श किया जा सकेगा।

§9§ असामान्य मुख्य बैठक :

§1§ असामान्य परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा मुख्य बैठक बुलाई जा सकती है। जिसके किसी खास मुद्दे पर विचार किया जाना आवश्यक हो, इसमें कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 सदस्य होना अनिवार्य होगा।

§2§ असामान्य मुख्य बैठक हेतु सदस्यों को पूर्व सूचित करना होगा और उसके लिए कम से कम 5 दिन का समय होना अनिवार्य है।

§3§ असामान्य मुख्य बैठक को भी समान्य मुख्य बैठक की भाँति ही अध्यक्ष द्वारा ही सम्बोधित किया जाएगा या उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष करेगा या उसकी भी अनुपस्थिति में चुने गए सभाध्यक्ष को यह अधिकार होगा।

§10§ कोरमः सभी सामान्य बैठकों में चाहे वह वार्षिक हो या असामान्य । सदस्य एक कोरम बनाएगें। बैठक के निश्चित समय में आधे घण्टे तक यदि कोरम नही बनता है तो सभा एक घन्टे के लिए स्थगित कर दी जाएगी तथा एक घन्टे के उपरान्त बैठक बिठा दी जायेगी तथा एक घन्टे के उपरान्त बैठक बिठा दी जाएगी और उसके लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी।

§11§ निर्वाचनः

§1§ परिवर्तन के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रत्येक प्रश्न या समस्या का समाधान वोट डालकर या पक्ष या विपक्ष के हाथ उठा कर किया जाएगा।

§2§ समान वोट पड़ने पर सभाध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह दोबारा मत डलवाए और उसे विचार पर अनुमोदन कर दे।

§3§ किसी भी वार्षिक या असामान्य मुख्य बैठक में प्रस्तावित प्रस्ताव तभी निर्णय माना जाएगा जब उस पर सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हो जायं।

§12§ प्रबन्ध : परिवर्तन के सभी क्रिया कलापो उसकी कार्य समिति के नियन्त्रण में होगें तथा इसके प्रबंध मण्डल के अधीन होगा और वह सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, 1860 की धारा 16 के अनुसार होगा।

§13§ कार्य समिति: कार्य समिति में परिवर्तन के सभी पदाधिकारी होंगे।

§14§ कार्य समिति की बैठक:

§1§ परिवर्तन के अध्यक्ष द्वारा चार महीनो के अन्तराल में एक समान्य बैठक बुलाई जायेगा और कार्य समिति के पाँच सदस्य किसी विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की रजामन्दी में किसी नियत दिन नियत समय पर समान्य व असामान्य बैठक का आयोजन कर सकते है।

§2§ ऐसी सामान्य या असामान्य बैठक के लिए दिन स्थान समय आदि के निर्धारण की सूचना तथा बैठक के मुद्दे सभी सदस्यों को प्रबन्धकीय सचिव को कम से कम सात दिन पूर्व प्रत्येक के रजिस्टर्ड पते पर डाक द्वारा भेजना होगा।

§3§ अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक कभी भी बुला सकता है।

§4§ सभी बैठको में कोरम न होने पर कम से कम तीन सदस्य होने अनिवार्य होंगें।

§15§ परिवर्तन के किसी नियम को बदलने, संशोधन या बनाने आदि की यदि आवश्यकता पडती है तो इस पर व्यापक विचार विमर्श की उपरान्त कोरम के दो तिहाई बहुमत से नियम में संशोधन बदलना या बनाया जा सकता है।

§16§ परिवर्तन के समस्त कोष का निष्पादन प्रबन्धकीय सचिव करेगा जिसमें अध्यक्ष का पूर्ण सहयोग रहेगा। परिवर्तन किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में अपना खाता खोलेगी तथा अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी के प्रबन्धकीय सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य एक को बैंक कार्य के निष्पादन का अधिकार देगी तथा समस्त आय व्यय का लेखा प्रबन्धकीय सचिव को रखना होगा।

§17§ परिवर्तन के आय व्यय का निरीक्षण महा सचिव करेगा तथा लेखा परीक्षण किसी राज पत्रित लेखा अधिकारी से कराया जाएगा जो कि हर वर्ष किया जाएगा।

§18§ परिवर्तन द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धकीय सचिव का होगा उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य कार्यकारिणी का कोई अन्य उपलब्ध सदस्य कर सकेगा।

§19§ परिवर्तन के समस्त अभिलेख §सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि§ प्रबन्धकीय सचिव की देखरेख में रहेंगें।

क्रमशः...

{20} परिवर्तन की यदि किन्ही परिस्थितियों में विघटित या विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की आवश्यकता पडती है तो धारा 13 व 14 के अनुसार इसको किसी अन्य ऐसी संस्था जिसके उद्देश्य परिवर्तन से मेल खाते हो, में मिला दिया जायेगा।

{21} इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विवरण या प्रावधान जो परिवर्तन के उद्देश्य पूर्ति एवं संचालन में सहयोगी, उपयोगी व आवश्यक हो {धारा या नियम 4 के अनुसार} उन पर विधिवत अमल किया जायेगा।

दि०.20.9.96

सत्य प्रतिलिपि सत्य प्रतिलिपि

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
21/5/2002

- ५

[illegible] कारिणी समिति के नाम, पता, व्यवसाय व पद जिनको संस्था के अनुसार कार्यभार सौंपा गया। — (हस्ताक्षर)

6. हम सभी सदस्य जिनके नाम व पते निम्नलिखित है संस्था के उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु "परिवर्तन" नाम से एक ग्रामीण समाज सेवी संस्था का निर्माण करना चाहते है। (हस्ताक्षर)

क्रंस0	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	श्री गुरुरामराय पब्लिक स्कूल पौडी (गढवाल)	अध्यापन	संरक्षक
2.	श्री चन्द्रशेखर जुयाल पुत्र श्री चक्रधर जुयाल	ग्राम काण्डा, सितोन्स्यूं पौडी गढवाल	अध्यापन	अध्यक्ष
3.	श्री वरूण नयाल पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह नयाल	नयाल भवन, समीप लक्ष्मी-नारायण मन्दिर, पौडी	अध्यापन	उपाध्यक्ष
4.	श्री वीरेन्द्र खंकरियाल पुत्र श्री बालीराम खंकरियाल	127, विकास मार्ग, पौडी	अध्यापन	महासचिव
5.	श्री राहुल तडियाल पुत्र श्री शिवचरन सिंह तड़ियाल	ग्राम खाल्लू, चमराडा, कटूलस्यूँ खिर्सू, पौडी गढवाल	"	[illegible] सचिव
6.	श्री जगदम्बाप्रसाद पाथरी पुत्र श्री श्यामलाल पाथरी	24, विकास मार्ग, पौडी	"	प्रबन्धकीय सचिव
7.	श्री प्रेमबल्लभ पंत पुत्र श्री गोपाल दत्त पन्त	24, विकास मार्ग, पौडी	वकालत	कानूनी सलाहकार
8.	श्री भारतसिंह रावत पुत्र श्री पूरन सिंह रावत	ग्राम गोण्डई, पो0चौबट्टाखाल खातस्यूँ, पौडी गढवाल	अध्यापन	कोषाध्यक्ष
9.	श्रीमति बीना जुयाल पत्नी श्री चन्द्रशेखर जुयाल	ग्राम काण्डा, सितोन्स्यूँ पौडी गढवाल	गृहणी	सदस्य
00.	श्री बलवन्तसिंह नेगी पुत्र श्री दर्शन सिंह नेगी	नरेन्द्र भवन, समीप एजेन्सी पौडी गढवाल		सदस्य

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, सन 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर कराना चाहते हैं। (हस्ताक्षर)

दि0 20-9-96

समस्त हस्ताक्षर अपठनीय

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून, उत्तरांचल
3/4/2003

संस्था की नियमावली

1. संस्था का नामः — परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवी संस्था है।
2. मुख्य कार्यालयः — संस्था का मुख्य कार्यालय ग्राम कण्डा, सितोनस्यूँ (कोट ब्लाक) पो0ओ0 बुरासी, पौडी, उ0प्र0 है।
3. कार्यक्षेत्रः — परिवर्तन का कार्य क्षेत्र जिला पौडी गढवाल का समस्त ग्रामीण अंचल है तथा भविष्य में समस्त उत्तराखण्ड के ग्रामीण अंचलों तक विस्तार का इरादा रखती है।

(4) क व्याख्याः
"परिवर्तन" का अभिप्राय परिवर्तन ग्रामीण समाज सेवी संस्था पौडी (गढवाल) उ0प्र0 है।

ख. शासन निकाय का अभिप्राय समस्त पदाधिकारियों एवं उन सदस्यों से है जो परिवर्तन के क्रिया कलापों में सहभागिता रखते है।

ग. अध्यक्ष का अभिप्राय उपाध्यक्ष सहित अध्यक्षीय कार्यों को करने से है।

घ. कार्यकारिणी का अभिप्राय संस्था के मुख्य सदस्यों द्वारा संस्था के कायदे कानूनों के अन्तर्गत चुने गये पदाधिकारियों से है।

ङ. अधिनियम का अभिप्राय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21-1860 से तथा उसमें लेने वाले किसी परिवर्तन से है।

(5) सदस्यताः

परिवर्तन के सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:-

क. संरक्षक (विशिष्ट सदस्य)
ख. आजीवन सदस्य (विशिष्ट सदस्य)
ग. अवैतनिक सदस्य (विशिष्ठ सदस्य)
घ. व्यक्तिगत सदस्य (सामान्य सदस्य)
ङ. दानकर्ता सदस्य (सामान्य सदस्य)

क; संरक्षकः (I) आजीवन संरक्षकः- परिवर्तन एक आजीवन संरक्षक चुन सकती है जो अपनी सेवायें परिवर्तन को सौंपें, उसे परिवर्तन की सभी सभाओं का सदस्य होने का अधिकार होगा।

(II) संरक्षक- परिवर्तन तीन संरक्षकों को चुन सकती है जिन्होंने परिवर्तन के लिए समय-समय पर अपनी विशेष सेवायें समर्पित की हो, तथा जो अन्य किसी संस्था के वैतनिक या अवैतनिक सदस्य न हों।

ख. आजीवन सदस्यः- परिवर्तन के आजीवन सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सदस्यता शुल्क के रूप में एक सौ रूपये (रू0 100/-) जमा करवाये हो तथा जिनका चयन कार्यकारिणी में हुआ हो, वे परिवर्तन की आजीवन सदस्यता से लिखित रूप से अपना त्याग पत्र देकर सदस्यता समाप्त करने के अधिकारी होंगे या जिस सदस्य पर लगाया गया दोष समुचित विचार करके सत्यापित हुआ हो उसकी आजीवन सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल

ग. अवैतनिक सदस्य: वे प्रतिनिधि सदस्य होंगे जिन्हें समय-समय पर कार्यकारिणी द्वारा चुना गया हो।

घ. व्यक्तिगत सदस्य: वे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष की पूरी हो गयी हो तथा वे ग्रामीण समाज के पिछड़े हुए लोगो के उत्थान में अपना योगदान चाहते हो, और वे परिवर्तन को 10 रूपये वार्षिक शुल्क अदा करते हो।

ङ. दानकर्ता: सदस्य वे व्यक्ति तथा संस्थान होंगे जिन्होने परिवर्तन को 500 रू० या इससे अधिक की राशि दान स्वरूप दी हो। दानकर्ता सदस्य माने जायेंगें।

§6§ क. परिवर्तन संस्था के महासचिव को संस्था के सभी क्रिया कलापों खातो आदि की जांच का अधिकार देती है।

ख. परिवर्तन के प्रत्येक सदस्य को अपनी सदस्यता या पद से त्याग पत्र देने का अधिकार होगा।

ग. परिवर्तन की कार्यसमिति दो तिहाई मतो से किसी सदस्य तथा संरक्षक की सदस्यता समाप्त कर सकती है। उस सदस्य व्यक्ति या संस्था पर लगाया गया दोष सत्यापित हो गया और उसे अपनी सफाई देने का पूरा-पूरा अवसर दिया गया हो तथा उसे इसके सम्बन्ध में पूर्व सूचित किया गया हो

घ. परिवर्तन के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है अथवा वह पागल हो जाता है या दिवालिया अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाता है या वह परिवर्तन का वार्षिक शुल्क जमा नही करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

ङ. परिवर्तन उन उन सदस्यों को मताधिकार देती है जिन्हें कम से कम सदस्यता प्राप्त किये एक महीना हो गया हो।

§7§ कार्य समितिः- कार्यसमिति के पदाधिकारी निम्न होगें:-

1.	संरक्षक	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
2.	अध्यक्ष	श्री चन्द्रशेखर जुयाल
3.	उपाध्यक्ष	श्री वरुण नयाल
4.	महासचिव	वीरेन्द्र खोंकरियाल
5.	उप सचिव	राहुल तड़ियाल
6.	प्रबन्धकीय सचिव	जगदम्बा प्रसाद पाथरी
7.	कानूनी सलाहकार	प्रेम वल्लभ पंत
8.	कोषाध्यक्ष	श्री शरतसिंह रावत

§1§ अध्यक्ष: परिवर्तन का अध्यक्ष ही इसका मुखिया होगा।

§2§ उपाध्यक्ष: परिवर्तन का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में [illegible] का मुखिया होगा।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून, उत्तरांचल

20. उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिवर्तन केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना करेगी तथा विकास हेतु सभी कार्यक्रमों हेतु समुचित आर्थिक वितरण करेगी, इसके लिए प्रचार प्रसार हेतु मुद्रण सभाएं, सेमिनार, मेलों का आयोजन करेगी, आवश्यकता पड़ने पर यह जगह-जगह अपने प्रतिनिधियों को भेजेगी ।

21. परिवर्तन की आय को संस्था के उद्देश्यों के लिए खर्च ही किया जा सकता है लेकिन इसकी किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति को संस्था के किसी भी सदस्य के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

22. परिवर्तन का उद्देश्य उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक अभियानों तथा समारोहों का क्रियान्वयन करना है ।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून, उत्तराखण्ड
2/4/2013